

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे सामने उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु अनेक विवरण हैं।  
 एवं इस दुरस्ती को कानून हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप सहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की है। अतः  
 दुरस्ती परसुत निर्णयों कुटिल सुधार की रक्षा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती पररपर सहमति पर कि. न. न. हेतु  
 प्रार्थना ने परसुत तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में ही जो. न. अतः  
 निर्णयित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आवेदन दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
		3	4	5	6	7	
घान का नाम	खसरा संख्या	संविदा का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	
जोगडी	170	डीराराम पुत्र	908	0.01	डीराराम पुत्र	908	0.01
		श्रीधिया कौम	909	0.07	<del>श्री</del> कौदुराम	909	0.07
		मेधवंशी साठ हे	910	0.01	कौम मेधवंशी	910	0.01
		आठ रदन	911	10.07	साठ हे रदन	911	10.07
		असुल			असुल		

क्रमांक :- 399  
21.8.21

शिवाजी प्रभासी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.वा.वा.)  
 दिनांक :-

1. उप सहसीलदार, मौलासर

शिवाजी प्रभासी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.वा.वा.)  
 दिनांक :- 20/8/2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-  
 दिनांक पालनार्थ :-

1. पत्रकार हल, जोगडी को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रक्षण नहीं हो जो निर्णय पालना सुनिश्चित है।

उप सहसीलदार, मौलासर